


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा

34

(म०प्र०)



R 5017-II/116

- 1- दुखई पिता रीचन कोल
- 2- अमोले पिता गौहार तेली दोनो निवासी ग्राम-हिवा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली म०प्र०
- 3- म०प्र० शासन

निगरानीकर्तागण


बनाम्

प्रेमवती पत्नी हिन्धुपतीराम ब्रा० निवासी ग्राम-हिवा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली म०प्र०

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार तहसील देवसर, प्रकरण कमांक-अ<sup>45</sup>6अ/2012-13 आदेश दिनांक 30-05-15 एवं उपखण्ड अधिकारी देवसर, जिला सीधी के प्र० क०-140/अपील/1/14-15 अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

श्री. प्रो. जे. ए. सिन्हा एड्व.  
द्वारा आज दिनांक 13-1-16 के  
प्रस्तुत किया गया।

  
सिद्ध  
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य

यह कि आराजी खसरा कमांक-04 रकवा 0.27 हे० व 5/2 रकवा 0.30 हे० जो म०प्र० शासन एवं गरीब भूमिहीन के आबादी की भूमि है, और उसमें निगरानीकर्ता अपना मकान बनाकर आबाद है और शासन द्वारा उन्हें इसी प्रयोजन से उक्त भूमि छोड़ी गई है, जिसको तहसीलदार ने गैर निगरानीकर्ता के नाम

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० नि०५०१७-दो/१६

जिला-सिंगरौली

दुखई कोल / प्रेमवती

(1)	(2)	(3)
17.01.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस हो, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol>	

M

सदस्य